

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 68/2022

उनवान

1. शंकर पुत्र श्री गोपी जाट निवासी पातलियास तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. भवाना पुत्र श्री मोहन जाट निवासी पातलियास तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. श्रीमती नन्दू पत्नी श्री गोपी जाट निवासी पातलियास तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. दिनेश पुत्र श्री गोपी जाट निवासी पातलियास तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती सोहनी पत्नी श्री मांगू जाट निवासी पातलियास तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. सोनाथ पुत्र श्री धुकल जाट निवासी पातलियास तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 26.05.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 09.05.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पातलियास पटवार हल्का पीपली भूअ.नि. मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 277 की कृषि भूमि की आ0न0 304 रकबा 0.0506है0, आ0न0 305 रकबा 0.0506है0, आ0न0 306 रकबा 0.9863है0, आ0न0 307 रकबा 0.0885है0, आ0न0 308 रकबा 2.0864है0 कुल किता 05 रकबा 3.2624 है0 भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 09.05.2022 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 02 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है ग्राम पातलियास पटवार हल्का पीपली भूअ.नि. मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 277 की कृषि भूमि की आ0न0 304 रकबा 0.0506है0, आ0न0 305 रकबा 0.0506है0, आ0न0 306 रकबा 0.9863है0, आ0न0 307 रकबा 0.0885है0, आ0न0 308 रकबा 2.0864है0 कुल किता 05 रकबा 3.2624 है0 जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 1600/-रु0 पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करवाया गया। प्रकरण फैंसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे।

(अंशुल आमेरिया)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)